न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 158 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/169)
पंजीयन दिनांक– 10.03.2021
निर्णय दिनांक– 17.08.2021

1. श्रीमती कमला उर्फ बदामी पुत्री श्री कैला ब्राह्मण, निवासी निलोद, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता कैला ब्राह्मण, निवासी निलोद, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री मगनीराम पिता कैला ब्राह्मण, निवासी निलोद, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री किशनलाल पिता भंवरलाल, निवासी निलोद, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री ओमप्रकाश पिता भंवरलाल, निवासी निलोद, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्रीमती पूरणबाई पुत्री भंवरलाल पत्नि मनोज कुमार निवासी निलोद, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ हाल निवासी चंगेडी रोड, फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री भरत सिंह राव – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पी. एल. मारू – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 6

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध तहसीलदार, भूपालसागर के प्रकरण
संख्या 82 / 2016 निर्णय दिनांक 17.08.2017

निर्णय

दिनांक 17.08.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, भूपालसागर के प्रकरण संख्या 82/2017 निर्णय दिनांक 17.08.2017 के विरूद्ध दिनांक 05.09.2017 को प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 10.03.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया/अपीलांट ने न्यायालय सहायक कलक्टर, कपासन में नामांतरण की अपील पेश कर स्व. कैला पिता देवा ब्राह्मण के विरासत का नामांतरण संख्या 29 दिनांक 02.12.1966 ग्राम पंचायत निलोद द्वारा गलत फैसला किया प्रार्थीया/अपीलांट को विरासत के इंतकाल में उत्तराधिकारी नही बनाया एवं विरासत के हक अधिकार से वंचित किया गया, जिस पर न्यायालय सहायक कलक्टर, कपासन ने प्रार्थीया/अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार, भूपालसागर को विधिक वारिसान की जांच कर पुनः विरासत का नामांतरण खोला जाने हेतु रिमाण्ड किया गया। जिस पर तहसीलदार, भूपालसागर द्वारा प्ररकण संख्या 82/2016 दिनांक 15.12.2016 से दर्ज कर निर्णय दिनांक 17.08.2017 से समस्त प्रभावित पक्षों की सुनवाई के पश्चात प्रकरण में ग्राम पंचायत, निलोद द्वारा पारित नामांतरण संख्या 29 दिनांक 02.12.1996 को पारित निर्णय यथावत रखा जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 17.08.2017 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– ***''मेनें पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेज, बयान आदि का गहनता से अध्ययन व***

मनन किया तथा दोनों पक्षों के तर्को–वितर्को पर गोर किया। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निलोद नामा. सं. 29/02.12.1996 वाद ग्रस्त आराजी का निर्णित किया वह कैला पिता देवजी द्वारा अपने पुत्रों के पक्ष में बैशाख सुदी बारस रविवार सम्वत् 2047 को की गई अन–रजिस्टर्ड वसीयत के आधार किया है। नामांतरकरण पर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि फौती द्वारा अन–रजिस्टर्ड वसीयत अपने पुत्रों के नाम की हुई है व पुत्रियों ने सहमति दी हुई है। वसीयत नामे का पंजिकृत नही होना विवादित नही है। वादीया कमला के सिवाय सभी वारिसो ने भी वसीयत को उनकी जानकारी में होकर सही मानते हुए उनके पिता कैला द्वारा करना स्वीकार किया है। वसीयत पत्र पर दर्ज गवाहों ने भी शपथ आयुक्त द्वारा प्रमाणित अपने शपथ पत्रों में कैला द्वारा की गई वसीयत की लिखा पड़ी उनके सामने होकर गवाह स्वरूप हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। वर्तमान में भूमि पर तीनों पुत्रों अर्थात् मोहनलाल, मंगनीराम पिता कैला व भंवरलाल की मृत्यु होने से उनके वारिसान का कब्जा होकर काश्त होना बयानों से स्पष्ट है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर निगरानी प्रकरण संख्या 100/94/जोधपुर निर्णय दिनांक 26.02.2002 श्री खेता बनाम रघुनाथ में भी माननीय न्यायालय ने वसीयत को रजिस्टर्ड होना आवश्यक नही माना तथा अन–रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित नामांतरकरण को सही मानते हुए निगरानी को अस्वीकार किया है। प्रकरण में विरासत की कार्यवाही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधित) 2005 लागु होने के पूर्व हो चुकी थी। वादी कमला पुत्री कैला ने अपने बयान में बताया कि उसे कमला व बादामी दोनों नामों से जाना जाता है परन्तु इस तथ्य का उल्लेख उपखण्ड अधिकारी महोदय के निर्णय दिनांक 09.06.2016 में कही नही है। तथा कथित कमला के पहचान इत्यादि समस्त दस्तावेज बदामी के नाम से बने हुए है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी कमला स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम

से दिनांक 18.04.2017 के पश्चात् एक भी सुनवाई तिथि को उपस्थित नही हुई। मौके पर कब्जा भी वादी का नही पाया गया। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के अवलोकन के पश्चात् उपलब्ध एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के दृष्टिगत हमें ग्राम पंचायत निलोद के प्ररकण में नामा. सं. 29 दिनांक 02.12.1996 से असहमत होने का कोई विधिक कारण दृष्टिगोचर नही होता परन्तु प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी महोदय के निर्णय दिनांक 09.06.2016 द्वारा वादग्रसत नामा. खारिज कर इस आशय से रिमाण्ड किया कि "मृतक कैला के वारिसान की जांच कर पुनः नामांतरकरण निर्णित किया जावें" प्रकरण में नामा. सं. 29 दिनांक 02.12.1996 के पश्चात् मृतक कैला के एक पुत्र भंवरलाल की विरासत का नामांतरकाण 774 दिनांक 29.03.2013 स्वीकृत हो कर अमल हुआ है। नाम. सं. 497 व 657 से भी खाता प्रभावित हुआ है।

अतः समस्त प्रभावित पक्षों की सुनवाई के पश्चात प्रकरण में ग्राम पंचायत निलोद द्वारा नामा. सं. 29 पर दिनांक 02.12.1996 को पारित निर्णय यथावत रखा जाता एवं इसके आगे पारित नामा. सं. 497, 657, एवं 774 इस निर्णय से अप्रभावित रह कर वादग्रस्त आराजियात की रेकार्ड में दर्ज वर्तमान स्थिति बहाल रखी जाती है।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भरत सिंह राव उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री पी. एल. मारू उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 6 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 29.07.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरकरण विरासत से नही खोल कर फर्जी वसीयतनामा के आधार पर अपने अधिकरों का दुरूपयोग करते हुये पारित किया है जो स्वतः ही निरस्त योगय है लेकिन इस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गोर नहीं किया क्योंकि वसीयत का परीक्षण या वसीयत को साबित करने का अधिकार सिविल न्यायालय या राजस्व न्यायालय को है फिर भी ग्राम पंचायत ने अपने अधिकारों से परे जाकर नामा. संख्या 29 दिनांक 02.12.1996 का नामांतरण फैसल कर अपीलांट को अपने हक अधिकारों से वंचित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय सुनवाई करते हुए साक्ष्य में ग्राह्य नही होते हुए भी रेकार्ड पर लेकर रेस्पोडेंट के पक्ष में निर्णय पारित कर बडी भुल की है जिसको निरस्त किया जाना आवश्यक है इसके अलावा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 व 8 में पुत्रियों को पिता की संपति में बराबर हिस्सेदारी माना है उसके अनुसार अपीलांट की अपने विरासत की संपत्ति में हक अधिकार से वंचित रखने के लिये कुटरचित दस्तावेज ग्राम पंचायत निलोद के समक्ष प्रस्तुत कर निर्णय पारित कराया है। इसको भी अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना परीक्षण किये बिना अपीलांट को सुने एक तरफा सुनवाई करते हुए पूर्व निर्णित नामा. संख्या 29 दिनांक 02.12.1996 को यथावत रखने का आदेश पारित कर अपीलांट के विधिक अधिकारों का हनन किया है क्योंकि न्यायालय को चाहिए की दोनो पक्षों को सुनकर ही विधिक आदेश पारित करें। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 (5) में 2005 के संशोधन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार किया गया था लेकिन उक्त निर्णय व संशोधन को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर पूर्वतीय आदेश को लागु किया है, इसलिए वर्ष 2005 के संशोधन का प्रभाव भी इस नामांतरण पर नहीं है। रेस्पोडेंट द्वारा अनरजिस्टर्ड वसीयत पत्र को पेश कर उस पर उपस्थित गवाह व दस्तावेज पर अपीलांट को कोई जिरह व सुनवाई का अवसर दिये

बिना ही अनरजिस्टर्ड वसीयत को सही मान कर पूर्व पारित नामा. सं. 29 दिनांक 02.12.1996 को सही माना जो विधिक दृष्टि व प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के आधार पर अवैधानिक होकर गलत है। तथा पटवारी हल्का द्वारा मात्र कब्जा की रिपोर्ट पेश की गई है लेकिन वारिसान के सजरे में अपीलांट को मृतक कैला की पुत्री माना है नामांतरण की कार्यवाही करते समय मात्र उनके हक अधिकारों को देखा जाना चाहिए न कि कब्जे की स्थिति को इसलिये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाना न्यायोचित है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः R. R.T. 2013 (2) Page 766, R. R. T. 2011 (1) Page 432, 1125 R. R. T. 2011 (2) Page 779 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 ने प्रारंभिक आपत्ति एवं लिखित बहस पेश कर बताया कि श्रीमती कमला नाम की कोई भी पुत्री स्व. श्री केला के नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर में प्रस्तुत अपील में अपीलांट ने अपने आप को कमला बताते हुए अपील प्रस्तुत की है किन्तु न्यायालय हाजा में कमला उर्फ बदामी बता दिया है। जबकि कहीं पर भी बदामी का नाम कमला होने का कोई रिकार्ड नहीं है, इस कारण कमला, केला की पुत्री नही होने से यह अपील न्यायालय में चलने योग्य नही है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील को द्वितीय अपील के नाम से सम्बोधित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। लिखित बहस में भी अपील को द्वितीय अपील बताया गया है, जबकि हस्तगत अपील विचारण न्यायालय तहसीलदार, भूपालसागर के आदेश के विरूद्ध है, जिससे जैर अपील आदेश की प्रथम अपील की जानी चाहिए थी किन्तु अपीलांट द्वारा सीधे ही द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है, जिससे हस्तगत अपील सुनने को क्षेत्राधिकार नहीं है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि नामांतरकरण की प्रक्रिया एक फिस्कल प्रोसेडिंग है जो केवल मात्र

राजस्व कराने की बात को तय करती है, इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक एवं अधिकारों का विनिर्धारण नहीं होता है। हस्तगत प्रकरण में करीब 21 वर्षो पूर्व नामांतरकरण खोला जा चुका है, जिसे अब इस स्तर पर इतने लम्बे समय पश्चात निरस्त नही किया जा सकता है। यदि अपीलांट को वसीयत से संबंधित कोई भी उजर एतराज है तो उसे सक्षम न्यायालय में अपने अधिकारों के लिए चाराजोही करनी चाहिए। इतने लम्बे समय पश्चात नामांतरकरण कार्यवाही के जरिए राजस्व रेकार्ड में पूर्व की गई प्रविष्टियों को विलोपित अथवा उपांतरित नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में भी अपीलांट द्वारा उसके पिता द्वारा की गयी वसीयत को कूटरचित बताया है किन्तु इस बाबत कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये यगे है। इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भूपालसागर द्वारा वसीयत से संबंधित गवाहों श्री कालुलाल पिता किशनलाल सोनी, श्री भगवतीलाल पिता श्री चुन्नीलाल यादव एवं अपीलांट की दोनों बहनें श्रीमती तुलसी बाई, श्रीमती सोहनी बाई एवं श्री मोहनलाल, श्री किशनलाल, श्री ओमप्रकाश, श्रीमती पूरणबाई, श्रीमती कमला बाई आदि सभी के बयान लिये गये है, जिससे किसी भी स्थिति में वसीयत को फर्जी अथवा कूटरचित नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकरण में नामांतरणकरण संख्या 29 दिनांक 02.12.2006 को निर्णित हुआ है। जिसकी प्रथम अपील तथाकथित कमला द्वारा दिनांक 02.12.2015 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो स्पष्टतया 19 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई थी, जो स्पष्टतया अवधि पार थी किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 09.06.2016 को किया गया है वह विधिक प्रावधानो के विपरीत है। क्योंकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अवधि पार अपीलों में सर्व प्रथम मियाद के बिन्दु पर निर्णय किया जाकर ही गुणावगुण पर सुनवाई हो सकती है। आदेश दिनांक 09.06.2016 को अधीनस्थ न्यायालय ने किस प्रकार मियाद के अंदर माना इस बाबत एक शब्द भी अंकित नही है जिससे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा

तहसीलदार, भूपालसागर को प्रकरण गलत प्रकार से रिमाण्ड किया गया था। सहायक कलक्टर, द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विरीत निर्णय दिनांक 09.06.2016 को पारित किया गया था। क्योंकि पेशी दिनांक 13.07.2016 को थी किन्तु रेस्पोडेंट को बिना किसी नोटिस के केम्प निलोद पर दिनांक 09.06.2016 को ही निर्णय पारित कर दिया गया जो न्यायिक प्रावधानों के विपरीत था। स्वर्गीय केला के तीन पुत्र सर्व श्री भंवरलाल, मोहनलाल, मगनीराम एवं चार पुत्रिया श्रीमती सोहनीबाई, श्रीमती बदामीबाई, श्रीमती तुलसीबाई एवं श्रीमती कंकुबाई हुई। श्रीमती कंकुबाई की मृत्यु हो चुकी है किन्तु श्रीमती सोहनीबाई एवं श्रीमती तुलसीबाई जीवित है। अपीलांट द्वारा सारी कार्यवाही विरासत के आधार पर बतायी गयी है किन्तु न तो न्यायालय हाजा में, न ही अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय में श्रीमती सोहनीबाई एवं श्रीमती तुलसीबाई को पक्षकार बनाया गया है, जो कि आवश्यक पक्षकर है। इस कारण आदेश 1 नियम 9 जा. दी. के परन्तुक के अंतर्गत यह अपील चलने योग्य नही है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.06.2016 से यह प्रकरण रिमाण्ड किया गया था उस प्रथम अपील में रेस्पोडेंट संख्या 7 के रूप में स्व. भंवरलाल की बेवा श्रीमती कमलाबाई पक्षकार थी किन्तु न्यायालय हाजा में जानबूझकर श्रीमती कमलाबाई को पक्षकार नही बनाया गया है, जिससे भी यह अपील चलने योग्य नही है। तहसीलदार, भूपालसागर के निर्णय में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है क्योंकि अपीलांट दिनांक 18.04.2017 के पश्चात् कभी भी न तो स्वयं, न ही अपने अधिवक्ता के मार्फत अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुई तो अपीलांट का यह कथन कि उसे जिरह का मौका नहीं दिया गया, पूर्णतया मिथ्या एवं मनगढ़ंत है। रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 एवं 3 से 5 के पिता श्री भंवरलाल के पक्ष में फर्जी वसीयत तैयार की गयी हो जबकि वास्तविकता यह है कि स्व. श्री केला ने अपने जीवनकाल में उसके तीनों पुत्र सर्व श्री भंवरलाल, मोहनलाल एवं मगनीराम के पक्ष में गवाहों की उपस्थिति में वसीयत पत्र निष्पादित

किया था जिसे रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भूपालसागर में गवाहों को पेश कर सिद्ध करवाया था। इस कारण अपीलाधीन निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने नामांतरकण संख्या 29 दिनांक 02.12.1996 को यथावत रखने में किसी भी प्रकार की गलती नहीं की है। नामांतरकरण के प्रकरण में यदि अन–रजिस्टर्ड वसीयत को भी सिद्ध कराया जावे तो वसीयतग्रहिता के पक्ष में नामांतरकरण पारित किया जा सकता है एवं हस्तगत प्रकरण में भी तहसीलदार, भूपालसागर के समक्ष वसीयत के गवाहों को पेश करके वसीयत सिद्ध कराया गया था। स्वयं अपीलांट ने स्वीकार किया है कि वसीयत का परीक्षण करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को है तो इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। यह गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय सुनवाई की हो। जंहा तक हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का प्रश्न है तो नामांतरकरण संख्या 29 में वर्णित भूमि स्व. केला की स्व–अर्जित संपति थी। जिस बाबत उन्होने अपने तीनों पुत्रों के पक्ष में वसीयत कर दी थी। इस कारण उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 लागु होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भूपालसागर के समक्ष अपीलांट द्वारा ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं अपीलांट दिनांक 18.04.2017 के पश्चात कभी भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नहीं हुए। इस प्रकार अपीलांट को जिरह व सुनवाई का अवसर नही दिया जाने का कथन गलत तथ्य है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स द्वारा अपनी प्रारंभिक आपत्ति/बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः R. R.D. 2018 Page 175, R. R. T. 2019 (1) Page 648, R. B. J. 2002 (9) Page 290, , R. R. D. 2018 (9) Page 350, R. R. T. 2018 (2) Page 879, R. R.D. 2020 Page 213 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स संख्या 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ तहसीलदार, भूपालसागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.08.2017 नियमानुसार होकर उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि मूल नामान्तरण संख्या 29 निर्णय दिनांक 02.12.1996 द्वारा ग्राम पंचायत निलोद के निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में अपील संख्या 29/2015 पेश की गयी जिसका निर्णय दिनांक 09.06.2016 को कैम्प कोर्ट निलोद में हुआ। कैम्प कोर्ट में सिर्फ अपीलाण्ट उपस्थित हुई। रेस्पोंडेण्ट को सुना गया एवं उनके जबाब का वर्णन यदि प्रस्तुत हुआ तो उसका भी उल्लेख नहीं है, न ही मूल नामान्तरण निर्णय वर्ष 1996 से वर्ष 2015 में अपील प्रस्तुत होने तक मियाद बाबत् कोई निर्णय किया गया है, अर्थात् उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा जो निर्णय किया गया वह रेस्पोंडेण्ट को सुनकर नहीं किया गया तथा मियाद पर जो कि करीब 10 वर्ष की थी, उस पर कोई निर्णय नहीं किया गया। प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी द्वारा 10 वर्ष की मियाद को कण्डोन किये बिना निर्णय कर 10 वर्ष पुराने तस्दीकशुदा नामान्तरण को तहसीलदार को रिमाण्ड कर पुनः विवाद को उत्पन्न किया। प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय एवं 10 वर्षों की मियाद पर क्षमन के बिना उपखण्ड अधिकारी का उक्त निर्णय प्रथमतः विधिसम्मत् प्रतीत नहीं होता। इस बाबत् रेस्पोंडेण्ट द्वारा पेशशुदा नजीर 2019 (1) आर.आर.टी. पेज 648 में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है, वह यह है कि 28 वर्ष पूर्व तस्दीकशुदा नामान्तरण जो कि विधि प्रक्रिया होती है उसे नामान्तरण की अपील के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती एवं ऐसे ही न्यायिक नजीर 2002 आर.बी.जे. पेज 290, 2018 आर.आर.डी. पेज 350, 2018 (2) आर.आर.डी. पजे 879 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं

कि दीघ्रकालिक पुराने नामान्तरण जो कि विधिक प्रक्रिया है, उसे सामान्यतः चुनौती नहीं दी जा सकती। उसके लिए नियमित वाद ही किया जाना चाहिये।

अब हम यदि प्रकरण के गुणावगुण पर जाना चाहे तो यह प्रकट आता है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार को 09.06.2016 को प्रकरण रिमाण्ड करने के बाद तहसीलदार द्वारा 15.12.2016 से कार्यवाही प्रारम्भ की गयी एवं तहसीलदार द्वारा उभय पक्षों को सुना गया, साक्ष्य ली गयी तथा मूल नामान्तरण संख्या 29 को सही मानते हुए अपीलाण्ट का हक नहीं माना है। हम इस प्रकरण में साक्ष्य, अपीलाण्ट द्वारा अपील मेमो एवं लिखित बहस एवं मौखिक अभिकथनों में किये गये उज्रों का विवेचन करना उचित समझते हैं। अपीलाण्ट द्वारा अपील में जो प्रमुख उज्र लिये गये हैं उनमें प्रमुख यह है कि दौराने सुनवाई जिरह का अवसर नहीं दिया गया। यह तथ्य अपीलाण्ट पर भी लागू होता है। अधीनस्थ न्यायालय में बवक्त सुनवाई उसके बयानों पर भी जिरह नहीं हुई है तथा उसके द्वारा जिरह करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में कोई कथन अथवा आवेदन प्रस्तुत किया हो, ऐसी साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुराने नामान्तरण को ही यथावत् रखने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.2017 को जो निर्णय किया गया, वह उसकी अनुपस्थिति में किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को देखने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन देने के बाद अपीलाण्ट कमला दिनांक 18.04.2017 को उपस्थित थी तथा दिनांक 03.05.2017, 07.05.2017, 27.06.2017, 17.07.2017 एवं 08.08.2017 की पेशियों पर वह अनुपस्थित नहीं। न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.2017 को उपलब्ध साक्ष्यों एवं अपीलाण्ट के कथनों एवं साक्ष्यों को दृष्टिगत रखकर ही अपना आख्यापक निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित क्यों नहीं हुई, जबकि उसने स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था।

अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि उसने अधीनस्थ न्यायालय में कथन किया था कि मेरे पिताजी ने कोई वसीयत निष्पादित नहीं की तथा वसीयत झूंठी है। वसीयत को साबित कराना आवश्यक है।

हम इस प्रकरण में यह पाते हैं कि तहसीलदार विवादित मामलों के सन्दर्भ में निर्णय करने को सक्षम है तथा वर्ष 1996 में जब नामान्तरण संख्या 29 निर्णीत हुआ, उस समय भी गिरदावर द्वारा यह टिप्पणी की गयी कि ''अंकन पत्रों की तुलना की गई, फोती द्वारा अनरजिस्टर्ड वसीयत अपने पुत्रों के नाम दिया एवं पुत्रियों की सहमति दी हुई है।'' हालाकि वसीयती प्रकरणों में ग्राम पंचायत को नामान्तरण निर्णय नहीं किया जाना चाहिये था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा कर दिया गया एवं वर्तमान में तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरण के परीक्षण बाद सक्षम अधिकारी के नाते विवादित नामान्तरण के सन्दर्भ में सभी प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को सुनने के बाद वसीयत के साक्षी, गवाहों के बयान लेने के बाद निर्णय पारित किया है। यह स्पष्ट होता है कि मृतक केला की अन्य दो पुत्रियां तुलसीबाई एवं सोहनीबाई द्वारा उक्त वसीयत का निष्पादन होना माना गया है, जो अपीलाण्ट की सगी बहिनें है। इन परिस्थितयों में वसीयत को साक्षीयों की साक्ष्य, मूल नामान्तरण पर भू–अभिलेख निरीक्षक का नोट एवं दो अन्य सगी बहिनों के निष्पादन के बाद वसीयत को नहीं मानने अथवा झूंठी मानना उचित नहीं है। अपीलाण्ट ने लिखित बहस में भी अपनी अपील मेमो के तथ्यों को ही उद्दृत किया है तथा वर्णित किया है कि अपंजीकृत वसीयत को सही मान लिया गया है जबकि कानूनी स्थिति यह है कि वसीयत का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। वसीयत उपरोक्तानुसार निष्पादित होना व वसीयत के आधार पर नामान्तरण खुलने के 10 वर्ष बाद अपीलाण्ट द्वारा विवाद करने का तथ्य औचित्यपूर्ण नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा न्यायिक नजीरें 2013 आर.आर.डी. 766 पेश की है जिसमें सिर्फ पुत्र के नाम पर नामान्तरण खोल देने पर पुत्रियों का हक होना माना गया है परन्तु यह इस प्रकरण पर लागू नहीं होती क्योंकि यह

प्रकरण वसीयती उत्तराधिकार से संबंधित है। अन्य न्यायिक नजीर 2011(1) आर.आर.जे. 432 पेश की है वह प्रकरण भी वसीयत से असंबद्ध था, अतएवं उसके तथ्य इस प्रकरण पर लागू नहीं होते। अन्य नजीर 2011(2) आर.आर.टी. 779 प्रस्तुत की है जिसमें वसीयत के सन्देहास्पद होने के आधार पर घोषणात्मक रास्ता लिये जाने का कथन किया गया है। यहां पर वसीयत को सन्देहास्पद माने जाने का कोई आधार नहीं है क्योंकि नामान्तरण पर तस्दीक के समय ही उसका अंकन है। वसीयत साक्षियों के बयान है तथा अपीलाण्ट स्वयं की दो बहिनों द्वारा भी उक्त वसीयत के निष्पादन होने का कथन किया गया है।

उपरोक्त समग्र रूप से हम यह पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक सुनते हुए तथ्यों एवं विधि के अनुसरण में अपना निर्णय पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर